

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक विक्रेता खेत्रो पुरती, पिता- स्व० डुबलिया पुरती, ग्राम-बाईहातु, थाना- मुफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- दुम्बीसाई, थाना नं०- 643 खाता नं०- 56, प्लॉट नं०-588 रकवा- 18डी० 500 वर्गकड़ी, भूमि क्रेता नामसी बानरा, पति- स्व० कृष्णा बानरा, ग्राम- बानमगुदू, थाना- मुफसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक स्वयं के नाम से नामान्तरण मुकदमा सं०-63/2005-2006 के द्वारा नामान्तरित है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-1136, दिनांक- 13.11.2020 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गृह निर्माण एवं हल बैल खरीदने हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता नामसी बानरा, पति- स्व० कृष्णा बानरा, ग्राम- बानमगुदू, थाना- मुफसिल के पास बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ईलाका मानकी का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 4.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ईलाका मानकी के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता खेत्रो पुरती, पिता- स्व० डुबलिया पुरती, ग्राम-बाईहात, थाना- मुफसिल, क्रेता नामसी बानरा, पति- स्व० कृष्णा बानरा, ग्राम- बानमगुदू, थाना-मुफसिल के पास जमीन को कुल 13,98,400.00/- (तेरह लाख अठानव्वे हजार रुपये) में मौजा- दुम्बीसाई, थाना नं०- 643, खाता नं०- 56, प्लॉट नं०-588 रकवा- 18डी० 500 वर्गकड़ी, भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।